**न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय्,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।**

**विद्यापतिनगर थाना काण्ड सं0 36/20,कम्पयूटर निबंधन सं0 306/20**

**23.5.20** विद्वान अधिवक्ता श्री शत्रुध्न पासवान के द्वारा ऑनलाईन एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है, कि प्रस्तुत वाद में काराधीन अभियुक्त राहुल पासवान की ओर से पूर्व से जमानत आवेदन दाखिल था जिसकी जानकारी उसे नही थी, इस कारण गलतफहमी में उसकी ओर से पुनः जमानत आवेदन दाखिल कर दिया गया था। वह अपने द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को संचालित नही करना चाहते हैं,अतः उसे वापस लेने की अनुमति देने की कृपा की जाए। सुना। प्रार्थना स्वीकृत किया जाता है।

आवेदक **1. राहुल पासवान,** जो विद्यापतिनगर थाना काण्ड सं0 36/20, धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 9.3.20 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा एवं विद्वान वि0 लोक अभियोजक को विडियो क्रान्फ्रेस के माध्यम से सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उसका कोई संबंध नही है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराएँ उसके विरूद्व नही बनती है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह दिनांक 9.3..20 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं एक अन्य के विरूद्व धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर घटनास्थल पर आवेदक अभियुक्त को एक जरकीन में करीब दस लीटर महुआ देशी शराब के साथ पकड़ा गया जबकि दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा। आवेदक दिनांक 9.3.20 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में बरामद बरामद देशी शराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त **1. राहुल पासवान ,**को मो0 दस हजार रू0 के बंद्व–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। आवेदक अभियुक्त इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा, कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेगा।

(लेखापित)

अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद